कच्छ विकास बोर्ड

1570. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री ने अपनी अहमदाबाद यात्रा के दौरान बहुचर्चित और बहुलम्बित "कच्छ विकास बोर्ड" के गठन की औपचारिक घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्तावित "कच्छ विकास बोर्ड" के गठन की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने भी उक्त बोर्ड के गठन से संबंधित विस्तृत प्रभाव भेजा है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) 3 मई को अहमदाबाद में आयोजित एक जन सभा में प्रधान मंत्री ने कच्छ क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए एक कच्छ विकास बोर्ड के गठन की आवश्यकता के बारे में बोला था।

(ख) से (घ) इस बारे में राज्य सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

भारत-पकिस्तान युद्ध के दौरान भारत छोड़ कर जाने वाले लोग

1571. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन भारतीयों की सूची तैयार की गई है जो 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों के दौरान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों की सम्पत्ति को जब्त करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(घ) क्या इनमें से कुछ व्यक्तियों ने उक्त सूची में से अपने नामों को हटाने के लिए अनेक वर्षों के उपरांत प्रार्थना-पत्र दिए थे; यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) ऐसी कोई सूची तैयार नहीं की गयी है।

(ग) और (घ) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तथापि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन भारतीयों की सम्पत्ति जो 10.9.1965 अथवा 18.12.1971 को अथवा उसके पश्चात् पाकिस्तान प्रवास कर गए थे और जिन्होंने क्रमशः 10.7.1968 को अथवा उससे पहले और 27.9.1977 को पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, भारत के शत्रु सम्पत्ति नियंत्रक में निहित है।

राज्यों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार केवल एक ऐसा मामला है जिसमें पाकिस्तानी नागरिक, जिसकी अचल सम्पत्ति नियंत्रक (कस्टोडियन) में निहित थी, ने भारतीय राष्ट्रीयता ग्रहण करने के पश्चात् अपनी सम्पत्ति वापिस लेने का अनुरोध किया है। एक अन्य मामले में पाकिस्तानी नागरिक के भारतीय कानूनी वारिस ने अपने स्वर्गीय पिता की सम्पत्ति वापिस करने हेतु आवेदन दिया है।

हिन्दू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता

1572. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत आये हिन्दू शरणार्थियों को भारतीय नागिरिकता दे दी गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत आये हिन्दुओं के कितने मामले सरकार के पास उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए विचाराधीन है; और

(ग) 1965 तथा 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों के दौरान हिन्दू शरणार्थियों के उन बच्चों, जो उस समय अवयस्क थे तथा अब वयस्क हो चुके हैं, को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के कितने मामले सरकार के पास विचाराधीन हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) दो भारत-पाक युद्धों के दौरान भारत में प्रवेश करने वाले हिन्दू शरणार्थियों से आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित राज्य सरकारों ने 31.3.1986 तक उन्हें प्रदत्त शक्तियों के तहत उन्हें भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीकृत किया। ये शक्तियां बाद में 1.4.1986 से वापस ले ली गई थीं। जो लोग किसी कारणवश उस समय स्वयं को पंजीकृत नहीं करा सके, उनसे या उनके बच्चों से राज्य सरकार के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इस मंत्रालय द्वारा उन पर सामान्य तौर पर नागरिकता अधिनियम, 1955 के उपबंध और राज्य सरकार की सिफारिश के अनुसार विचार किया जाता है। तथापि, ऐसे शरणार्थियों से संबंधित कोई पृथक सूची केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती।

राजभाषा विभाग में वित्तीय घपले

1573. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा विभाग में बड़े पैमाने पर वित्तीय घपले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?